भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2405

दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

गंगा जल बंटवारे की संधि

2405. श्रीमती माला राय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा जल बंटवारे की संधि, जो दिसम्बर, 2026 को समाप्त हो जाएगी, को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता शुरू की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केंद्र सरकार ने उक्त संधि के नवीनीकरण के संबंध में पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ बातचीत की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत-बांग्लादेश गंग/गंगा जल संधि पर 12 दिसंबर, 1996 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। दोनों देशों के बीच इसके नवीनीकरण के लिए चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार सहित सभी हितधारकों से पेयजल और औद्योगिक जल आवश्यकताओं के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सरकार की राय तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के एक अधिकृत प्रतिनिधि ने 30 अक्टूबर 2023, 15 मार्च 2024, 31 मई 2024 और 26 मार्च 2025 को इस विषय पर आयोजित अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं में भाग लिया, जहां एक सामूहिक राय तैयार की गई।
